शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 मार्च 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

संस्कृत साहित्य में मानवाधिकार

डॉ.अमिता जैन
सहायक आचार्या
शिक्षा विभाग
जैन विश्वभारती संस्थान
लाडनूं, राजस्थान, भारत

शोध संक्षेप

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते सामाजिक वातावरण में रहते हुए जीवन में विकास एवं उत्कर्ष के लिए प्राप्त है परन्तु जनसाधारण के लिए आज भी मृगतृष्णा बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आज भी एक आम व्यक्ति अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है। अतःआवश्यकता है आम नागरिक को इनके प्रति जागरूक करने की। संस्कृत साहित्य में मानवाधिकारों के विस्तार से चर्चा की गयी है। समाज में शांति और सद्भाव कायम रखने में मानवाधिकारों की रक्षा एक अहम् पहलू है। प्रस्तुत शोध पत्र में संस्कृत साहित्य में मानवाधिकारों की चर्चा की गयी है।

संस्कृत साहित्य में मानवाधिकार

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में यह कहा गया है- ''मानव परिवार के सभी सदस्यों की सहज गरिमा तथा उनके समान एवं अपृथक्कनीय अधिकारों की मान्यता ही विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति का आधार है।'' भारत में प्राचीनकाल में सबसे पुराने ग्रंथ 'ऋग्वेद' और उसके बाद 'अथर्ववेद' तथा कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में विभिन्न मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रच्छन्न रूप मिलते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है-

अज्ये ठासोअकनि ठास एते।
सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय।।

अर्थात् कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। सभी बंधु हैं, सभी लोग सभी के हितों के लिए प्रयत्न करें तथा सभी सामूहिक रूप से प्रगति करें। इस प्रकार सभी मनुष्यों को समान एवं भाई माना है। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र है- 'संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।' अर्थात् हे मानव प्राणी! आप सभी परस्पर सहयोग से साथ-साथ रहें, मित्रतापूर्वक एक दूसरे से वार्ता करें एवं जीवन के साझे आदर्शों वाला ज्ञान प्राप्त करें।

अथर्ववेद में समानता के अधिकार को निम्न सूक्त में वर्णित किया गया है-

समानो प्रपा सह वोत्रभागः
समानो योक्त्रे सह वो युनज्मि
आराः नाभिमिवाभितः।।

अर्थात् भोजन एवं जल में सभी को समान अधिकार है। जीवन-रथ का जुआ सभी के कंधों पर समान रूप से टिका है। जिस प्रकार रथ के पहिए के आरे रिम और धुरी से जुड़कर एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्यों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जहां तक शिक्षा का सवाल है, 'महाभारत' में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के चार प्रकार के कर्त्तव्य हैं- ईश्वर के प्रति, माँ-बाप के प्रति, शिक्षकों के प्रति तथा मानवता के प्रति।

धर्मकोश में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है-

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 मार्च 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

पाषंअनैगम श्रेणी पूगब्रात गणादिषु।
संरक्षेत् समयं राजा दुर्गे जनपदे तथा।।

अर्थात् राजा वेद को मानने वालों तथा न मानने वालों दोनों तथा अन्यों का संरक्षण करें। इस प्रकार वैदिक धर्म को मानने वालों, अवैदिक धर्मों को मानने वालों तथा नास्तिकों को संरक्षण देना राजधर्म कहा गया है। इसमें पंथ निरपेक्षता या सर्वधर्मसमभाव का बीज निहित है। इसी प्रकार 'मनुस्मृति' में भी कहा गया है-

'क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्।
निर्दिष्ट फल भोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते।।'

अर्थात् राजा का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी प्रजा का संरक्षण है जो राजा अपनी प्रजा से कर प्राप्त करता है तथा उसका संरक्षण करता है, वह धर्म के अनुसार कार्य करता है। 'महाभारत' के शांतिपर्व में सभी वर्णों के लिए नौ धर्म-नियम बताये गये हैं-

'अक्रोधः सत्यवचन संविभाग क्षमा तथा।
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एवं च।
आर्जवं भश्त्यभरणं नवैते सार्वर्णिका।।'

अर्थात् क्रोध न करना, सही बात कहना, दूसरों के साथ संपत्ति का साझा करना, क्षमा करना, यौन नैतिकता, पवित्रता, शत्रुता का अभाव, स्पष्टवादिता और अपने पर निर्भर लोगों का भरण-पोषण करना सभी वर्णों के सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। अन्यत्र कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ, पत्नी, पिता और बच्चों का परित्याग नहीं करे। यदि कोई परित्याग करता है तो वह दण्ड का भागी होगा। 'मनुस्मृति' में अपराधी को निश्चित रूप से दण्ड देने को कहा गया है-

'पिता आचार्य सुहन्माता भार्या पुत्राः पुरोहितः।
नादंअयो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे नतिष्ठति।।'

अर्थात् अपराधी से सम्बन्ध रहने पर भी उसे बिना दण्ड दिए राजा के द्वारा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पिता, आचार्य, मित्र, माँ, पत्नी, पुत्र या पुरोहित को भी अपराध करने पर बिना दण्ड के नहीं छोड़ना चाहिए।

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में कैदियों को भी अधिकार दिये गये हैं- यदि कोई अधिकारी कैदियों की नित्यक्रिया जैसे- सोना, बैठना, भोजन करना आदि में बाधा डालता है, तो उसे तीन पण और उससे अधिक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

मनु के अनुसार राजा छिपे हथियारों से वार न करे, न कंटीले, जहरीले या आग उगलने वाले हथियारों से वार करे। वह रथ पर बैठकर जमीन पर खड़े व्यक्ति पर वार न करे। वह उस पर वार न करे जिसका हथियार टूट गया हो, या जो विपत्ति में हो या जो बुरी तरह जख्मी हो और भय में हो। कौटिल्य के अनुसार राजधर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रजा को सुख हो तथा राजा प्रजा के ही सुख में अपना सुख समझे-

'प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।'

अर्थात् प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में राजा का हित। जो अपने को प्रिय हो, वह राजा का हित नहीं है, प्रजा को जो प्रिय हो, वही उसका हित है। निम्न श्लोक में सबके सुखी, निरोगी, शुभ और दुःखरहित होने की कामना की गई है-

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।'

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 देव, अर्जुन (1998), मानव अधिकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

2 लाल, चमन, बाल श्रम, मानवाधिकार: नई दिशाएँ, अंक 1, 2004।

3 कुमार, संतोष, मानवाधिकार: नई दिशाएँ, अंक 1, 2004।

4 शर्मा, सुभाष (2006), भारतीय महिलाओं की दशा, आधार प्रकाशन प्रा. लि., पंचकूला (हरियाणा)।

5 सिन्हा, प्रभाकर, ह्यूमन राइट्स, पी.यू.सी.एल., पटना।